इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2013—श्रावण 29, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. एफ 1-12-2012-बाईस-पं-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय (राजपत्रित) सेवा की भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2013 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इन्हें प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए इन नियमों के अधीन ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, या जनजाति समूह अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है पंचायत राज संचालनालय (राजपत्रित) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती और साक्षात्कार द्वारा अथवा चयन द्वारा;

(ख) अनुसूची—चार के कालम (2) में यथादर्शित पदों से पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूल रूप से धारण कर रहे हों, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या की अनुसूची—दो में दर्शाई गई प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—

(1) आयु:—

(क) उसने चयन होने के ठीक पश्चात् आने वाली पहली जनवरी को अनुसूची तीन कालम (3) में यथाविनिर्दिष्य आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण नहीं की हो;

(ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारत कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटंनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की सरकारी सेवा में अथवा किन्हीं संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—ऐसे अभ्यर्थी जो, "भूतपूर्व सैनिक" हैं, से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन निरन्तर छह मास से अन्यून कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के

फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण कर लेने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) ऐसे अधिकारी, (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किये गये हों.

(5) ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्यकरने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(घ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ङ) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिल होगी.

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण जाति पति/पत्नि के मामले में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल होगी.

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल होगी.

(झ) नगर सेना होमगार्ड्स के स्वंयसेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि तक उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

टिप्पणी (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) और (दो) के अधीन उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पहले अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी (2) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए शिथिल की गई कुल कालावधि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी अधिकतम आयु सीमा की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12-1-3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012 तथा दिनांक 20 नवम्बर 2012 में यथा उल्लिखित अनुसार की जाएगी.

टिप्पणी (3) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं**:—अभ्यर्थी के पास अनुसूची—3 में यथादर्शित सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए:

परंतु,—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग, सरकार के परामर्श से किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह समझ सकेगा जिसके पास भले ही इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को चयन में प्रवेश के लिए योग्य बनाता हो; और

(ख) आयोग के विवेक पर परीक्षा/चयन के लिए ऐसे अभ्यर्थी पर भी विचार किया जा सकेगा जो अन्यथा अर्हित हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हैं, जो सरकार द्वारा विशिष्टतया मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय न हों.

(3) **फीस**:—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता**.—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता के रूप में माना जा सकेगा.

(2) कोई ऐसा अभ्यर्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो, सेवा या किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि अभ्यर्थी, के विरुद्ध किसी न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है, तो उसका मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा.

(5) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और किसी ऐसी महिला अभ्यर्थी, के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नि है, सेवा या पद पद नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**—किसी अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा अन्यथा पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रवेश के लिए प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती.**—(1) भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी जो कि नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा उन आदेशों के अनुसार परीक्षा ली जाएगी जो आयोग के परामर्श से समय-समय पर राज्य सरकार जारी करें.

(3) सीधी भरती के प्रक्रम पर मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे.

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे तथा ऐसा आरक्षण होरीजोंटल तथा कम्पार्टमेंटवाईस रहेगा.

(5) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो निःशक्त हों अथवा ऐसे अन्य वर्गों के लिए जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, पद आरक्षित रहेंगे. उक्त आरक्षण होरीजोंटल तथा कम्पार्टमेंटवाइस रहेगा.

स्पष्टीकरण.—उपनियम (4) और (5) के प्रयोजनों के लिये "होरीजोंटल तथा कम्पार्टमेंटवाईस आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग में आरक्षण अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित.

(6) जहां किसी विशिष्ट वर्ग के लिए रखे गए आरक्षित पद पर उपयुक्त अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण उस वर्ग के अभ्यर्थी से न भरे जा सकते हों तो उस पद को नहीं भरा जाएगा और तब तक अग्रनीत किया जाएगा जब तक कि यह उस विशिष्ट वर्ग के सदस्य द्वारा नहीं भरा जाता जिसके लिए उसे आरक्षित रखा गया था.

(7) यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रखी गई रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियों को सरकार की अनुमति के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियां आगामी चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.

(8) सेवा में अभ्यर्थी का चयन आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार लेने के पश्चात् किया जाएगा.

(9) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के नामों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(10) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी जिन्हें आयोग ने प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने को सम्यक् स्थान में रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हो, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जाएगा.

(11) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती में भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भरती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि आयोग अवधारित करे, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजनातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हुए हों, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए गए हों, गुणागुण (मेरिट) के क्रम से एक सूची बनाएगा और उसे सरकार को अग्रेषित करेगा. सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट भी प्राप्त की जाएगी.

(5) चयन सूची, आयोग द्वारा उसके जारी किए जाने की तारीख के एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी और आयोग सरकार की सहमति से सूची की कालावधि को छह मास तक के लिए बढ़ा सकेगा.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति का गठन करने का प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा.

(2) समिति ऐसे अंतरालों पर जो कि वह उचित समझे किन्तु साधारणतया एक वर्ष से अनधिक के अंतराल पर सम्मिलन करेगी.

(3) पदोन्नति में आरक्षण और विचार क्षेत्र के विस्तार की सीमाएं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण और विचार क्षेत्र के विस्तार की सीमाएं) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार और सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.**—(1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जाना है या किसी अन्य पद पर जिसे/जिन्हें सरकार द्वारा समतुल्य घोषित किया गया हो उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से) पूर्ण कर ली हो जितने कि अनुसूची चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हों और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचार क्षेत्र में आते हों. पदोन्नति के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के समय-समय पर यथा संशोधित उपबंध और इस निमित्त जारी किए गए अनुदेश लागू होंगे.

(2) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण और विचार क्षेत्र के विस्तार की सीमाएं) नियम, 1997 के उपबंध लागू होंगे.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत से एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए चयन का आधार वरिष्ठता को सम्यक् ध्यान में रखते हुए सभी संदर्भों में योग्यता और उपयुक्तता होगा.

(3) ऐसी चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम अनुसूची—चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों या सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे:

परन्तु ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता और उपयुक्तता वाला हो, उससे ज्येष्ठ अधिकारी की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण:—किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नति नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित हो, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

16. **आयोग से परामर्श.**—विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के बारे में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है.

17. **चयन सूची.**—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची चार के कॉलम (2) में दर्शित किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित किए गए पदों पर सेवा में सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न कर दिया जाए साधारणतया प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की, सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति ज्येष्ठता के उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में कि ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतया तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट नहीं आ गई हो जिससे सरकार की राय में वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

19. **परिवीक्षा और नियमितीकरण.**—(1) सेवा में भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) पंचायतराज सेवा में किसी पद पर नियुक्ति किए गए किसी व्यक्ति को तब तक नियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने परिवीक्षा की कालावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण न कर ली हो अथवा विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो, अथवा जिसने ऐसे पद के लिए सरकार या पंचायतराज संचालनालय द्वारा अधिकथित प्रशिक्षण यदि कोई हो प्राप्त न कर लिया हो.

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु मामला किसी ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियमों इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

अनुसूची

(नियम-5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पद

अनु. क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान+ग्रेड पे (5)
1	आयुक्त	01	भा.प्र.सेवा	37400-67000+10000
2	संचालक	01	भा.प्र.सेवा / रा.प्र.सेवा	37400-67000+8900
3	अपर संचालक	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8700
4	संयुक्त संचालक	05	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600
5	संयुक्त संचालक	01	प्रथम श्रेणी वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर.	15600-39100+7600
6	उप संचालक	18	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600
7	सहायक संचालक (जिला पंचायत राज अधिकारी).	60	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400
8	प्राचार्य (पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र).	07	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

भरती का तरीका

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिए]	अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आयुक्त	1	-	-	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भा.प्र.से. से प्रतिनियुक्ति पर.	-
2	संचालक	1	-	-	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भा.प्र.से. से प्रतिनियुक्ति पर.	-
3	अपर संचालक	1	-	100 प्रतिशत	-	पदोन्नति द्वारा
4	संयुक्त संचालक	5	-	100 प्रतिशत	-	पदोन्नति द्वारा
5	संयुक्त संचालक (वित्त)	1	-	-	राज्य वित्त एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर.	-
6	उप संचालक	18	-	100 प्रतिशत	-	विभागीय पदोन्नति द्वारा
7	सहायक संचालक (जिला पंचायत राज अधिकारी).	60	(एक) 25 प्रतिशत (15 पद) लोक सेवा आयोग द्वारा (दो) 25 प्रतिशत (15 पद) खंड पंचायत अधिकारी/पंचायत समन्वयक अधिकारी स्नातक से विभागीय परीक्षा द्वारा.	50 प्रतिशत (30 पद) पदोन्नति द्वारा	-	-
8	प्राचार्य (पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र)	7	(एक) 2 पद लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाएंगे. (दो) 2 पद पंचायत समन्वयक अधिकारी स्नातक से विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे.	(3 पद) पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे.	-	-

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

सीधी भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक संचालक (जिला पंचायत राज अधिकारी)	21	40	किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विषय में उपाधि या पत्रोपाधि.	मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन.
2	प्राचार्य, (पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र)	21	40	किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विषय में उपाधि या पत्रोपाधि.	मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन.

अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिये)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

अनुक्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कॉलम (3) में दर्शाए गए पद पर पदोन्नति के लिए कालम (2) में दर्शाए गए पद पर की सेवा के वर्षों की संख्या अर्हताकारी सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	चयन का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य **—अध्यक्ष** 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग **—सदस्य** 3. आयुक्त, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश **—सदस्य** 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो उपसचिव/उप संचालक की श्रेणी के समतुल्य हो. **—सदस्य**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	उप संचालक	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य —**अध्यक्ष** 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग —**सदस्य** 3. आयुक्त, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश —**सदस्य** 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो उपसचिव/उप संचालक की श्रेणी के समतुल्य हो. —**सदस्य**	
3	सहायक संचालक	उप संचालक	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य —**अध्यक्ष** 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग —**सदस्य** 3. आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश —**सदस्य** 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो उपसचिव/उप संचालक की श्रेणी के समतुल्य हो. —**सदस्य**	
4	प्राचार्य (पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र).	उप संचालक	पांच वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य —**अध्यक्ष** 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग —**सदस्य** 3. आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश —**सदस्य** 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो उपसचिव/उप संचालक की श्रेणी के समतुल्य हो. —**सदस्य**	
5	खण्ड पंचायत अधिकारी/संकाय सदस्य	सहायक संचालक (जिला पंचायत राज अधिकारी)/प्राचार्य (पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र).	पांच वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य —**अध्यक्ष** 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग —**सदस्य** 3. आयुक्त, पंचायत राज —**सदस्य** 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई नामनिर्दिष्ट (उपसचिव स्तर समतुल्य अधिकारी) —**सदस्य**	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th August 2013

No F-1-12-2012-XXII-P.1—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Panchayat Raj Sanchalnalaya (Gazetted) Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Panchayatraj Sanchalnalaya (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires;—

(a) "Appointing Authority" means State Government in respect of the Service;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Examination" means competitive examination to be conducted for recruitment to the service under these rules;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Governor" means Governor of Madhya Pradesh;

(f) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No.F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December 1984 as amended from time to time;

(g) "Schedule" means Schedule appended to these rules.

(h) "Scheduled Caste" means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Service" means Panchayat Raj Sanchalnalaya (Gazetted) Service;

(k) "State" means the State of Madhya Pradesh;

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or officiating capacity specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**— (1) Recruitment to service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment by competitive examination and interview or by selection;

(b) By promotion from the Posts as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of such persons who are holding the post in substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the commission;

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the in the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to Service.**—All appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) Age.- (a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years if a candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant, should not be more than 45 years of age;

(ii) A candidate who is temporary Government Servant and applying for another post shall not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.— The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of the State Government or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on;

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex- personal of madras Civil Units;

(4) Officers (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(d) The general upper age limit shall be relaxable upto Five years in respect of widow destitute and divorcee woman candidates.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 years in respect or Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" awarded candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State / Corporations / Boards.

(i) The general upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home-Guards and Non-Commissioned Officers of Home-Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note.—(1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after the selection. They shall however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.In no their case their age Limit shall not be relaxed.

Note.—(2) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the circular No. C-3-11/12/1/3 dated the 03-11-2012 and 20-11-2012.

Note.—(3) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational qualifications.**—The Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that—

(a) in exceptional cases, the Commission may on its recommendation in consultation with the Government treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by other institutions by such a standard which Commission consider the candidate for selection,

(b) candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being University not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the examinations/selection at the discretion of the Commission.

(3) **Fees.**- The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No candidate shall be eligible for any appointment to the service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where such case are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the decision of a criminal case.

(5) Male candidate who have more than one wives alive and female candidates who marries a male who has one wife alive will not be eligible for appointment.

10. **Commission's Decision about the Eligibility of Candidates shall be final.**— The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be allowed to appear in the examination/ interview.

11. **Direct Recruitment through Competitive Examination.**—(1) A competitive examination for recruitment shall be held at such intervals as the Appointing authority may, in consultation with the commission determine from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with

the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(4) There shall be reserved post for women candidates, in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for Appointment of Women's) Rules, 1997 and such reservation shall be horizontal and compartment-wise.

(5) There shall be reserved posts for candidates who are disabled persons or for such other classes as may be determined by the State Government from time to time. Said reservation shall be horizontal and compartment-wise.

Explanation.— For the purpose of sub-rule (4) and (5) "horizontal and compartment-wise reservation" means reservation in each category namely: Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward classes and unreserved.

(6) When the post reserved for a particular class cannot be filled by candidate of that class, for want of suitable candidates, the post shall be kept unfilled and carried forward till it is filled by member of that particular class for which it was kept reserved.

(7) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates without permission of the Government and vacancies shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next selection.

(8) The selection of the candidate to the service shall be made by the commission after interviewing them.

(9) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(10) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(11) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority or the Public Service Commission that there is sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward classes may not be available the Appointing Authority or the Public Service Commission may relax the such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

12. **List of Candidates Recommended by Commission.**—(1) The Commission shall prepare and forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as the commission may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for General Information.

(2) Subject to be provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) Before issuing the appointment orders, the report of character verification shall be obtained.

(5) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Commission and the Commission may extend the period of the list up to six months with the consent of the Government.

13. **Appointment by Promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :

Provided that, for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyan Aur Anya Pichhda Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals as it thinks fit but ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in Promotion and limits of the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration) Rules, 1997 and instructions issued by the Government in General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion.—** (1) The Commitee shall consider the cases of all persons, who has completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the day of 1st January of that year on the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in Column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2). For promotion the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (promotion) Rules, 2002 as amended from time to time and instructions issued in this behalf shall apply.

(2) For the zone of consideration for promotion the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration) Rules, 1997 shall apply.

15. **Preparation of the list of suitable candidates.-** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of suitable persons, who qualify the conditions prescribed in rule-14 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list :

Provided that any junior employee who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability shall be assigned in the list a higher place than that of Senior Officers senior to him.

Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Consultation with Commission.—**The recommendation of the Departmental promotion committee presided

over by President or by a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution of India and a separate consultation with the commission shall not be necessary.

17. **Select List.**—(1) The select list as finally approved by the Government, will be the list for promotion of the members of the service from the post shown in column (2) of Schedule IV to the post shown in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force period until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to Service from select list.-** (1) Appointments of the officers included in the select-list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order seniority in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the commission before the appointment of a person whose name is included in the select-list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

19. **Probation and Regularization.**—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed on any post of the Panchayat Raj service shall not be regularised until the probation period is not completed satisfactorily by him or he has not passed the departmental examination, if any, or he has not undergone training for the post, if any, as laid down by the Government or Panchayat Raj Sanchalnalaya for holding such post.

20. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordinance with the instruction issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal.**—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE – I
(See Rule-5)

Classification of Service, Scale of Pay and Posts included in the Service

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay Scale + Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commissioner	01	I.A.S. (Indian Administrative Service)	37400—67000+10,000
2.	Director	01	I.A.S./S.A.S.	37400—67000+8900
3.	Additional Director	01	Class-I	37400—67000+8700
4.	Joint Director	05	Class-I	15600—39100+7600
5.	Joint Director	01	Class-I on deputation from Finance Department	15600—39100+7600
6.	Deputy Director	18	Class-I	15600—39100+6600
7.	Assistant Director (District Panchayat-raj Officer)	60	Class-II	15600—39100+5400
8.	Principal (Panchayat-raj Training Center)	07	Class-II	15600—39100+5400

SCHEDULE– II
(See Rule-6)

Method of Recruitment

S. No	Name of the Post Included in the Service	Total Number of Posts	Percentage of the Number of Posts to be filled in			Remarks
			By Direct recruitment [see rule 6 (1) (a)]	By Promotion of the members of Service [see rule 6 (1) (b)]	By temporary transfer/deputation of persons of other Services [see rule 6 (1) I]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Commissioner	1	—	—	Deputation from Indian Administrative Service by General Administration Department.	_
2.	Director	1	—	—	Deputation from Indian Administrative Service/State Administrative Service, by General Administration Department.	_

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Additional Director	1	—	100%		
4.	Joint Director	5	—	100%		
5.	Joint Director	1	—	—	Deputation from State Finance and Accounts Service.	
6.	Deputy Director	18	—	100%		
7.	Assistant Director (District Panchayat-raj Officer)	60	**(i)** 25% (15 Posts) By Public Service Commission. **(ii)** 25% (15 Posts) by Departmental Examination from Block Panchayat Officers/Panchayat Coordinator Officer Graduate.	50% (30 Posts) By Promotion		
8.	Principal (Panchayat-raj Training Center)	7	**(i)** 2 Posts shall be filled by Public Service Commission. **(ii)** 2 Posts Shall be filled by Departmental Examination from Panchayat Coordinator Officer Graduate.	3 Posts shall be filled by Promotion		

SCHEDULE - III

(See Rule—8)

Age and Qualifications of Persons Recruited Directly

S.No.	Name of Post	Minimumt Age Limi	Maximum Age Limi	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Director (District Panchayat-raj Officer	21	40	Bachelor's Degree in any faculty with Degree or Diploma of Recognised University in the Subject of Panchayat and Rural Development	Selection by Madhya Pradesh Public Service Commission.
2.	Principal (Panchayatraj Training Centre)	21	40	Bachelor's Degree in any faculty with Degree or Diploma of Recognised University in the Subject of Panchayat and Rural Development	Selection by Madhya Pradesh Public Service Commission.

SCHEDULE - IV
(See Rule - 14)

Posts to be filled by Promotion

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the Post to which Promotion is to be made	Number of Years of Service on the post shown in column (2) for Promotion to the post shown in column (3) minimum period of qualifying service	Members of Departmental Promotion Committee	Method of Selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Joint Director	Additional Director	5 Years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him—**Chairman** (2) Principal Secretary / Secretary, Panchayatraj and Rural Development Department—**Member** (3) Commissioner, Panchayatraj and Rural Development Madhya Pradesh—**Member** (4) One nominated officer from Scheduled Caste / Scheduled Tribe category who is equivalent to the rank of Deputy Secretary / Deputy Director—**Member**	
2.	Deputy Director	Joint Director	5 Years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him—**Chairman** (2) Principal Secretary / Secretary, Panchayatraj and Rural Development Department—**Member** (3) Commissioner, Panchayatraj and Rural Development Madhya Pradesh—**Member** (4) One nominated officer from Scheduled Caste / Scheduled Tribe category who is equivalent to the rank of Deputy Secretary / Deputy Director—**Member**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Assistant Director	Deputy Director	5 Years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him—**Chairman** (2) Principal Secretary / Secretary, Panchayatraj and Rural Development Department—**Member** (3) Commissioner, Panchayatraj and Rural Development Madhya Pradesh—**Member** (4) One nominated officer from Scheduled Caste / Scheduled Tribe category who is equivalent to the rank of Deputy Secretary / Deputy Director—**Member**	
4.	Principal (Panchayatraj Training Centre)	Deputy Director	5 Years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him—**Chairman** (2) Principal Secretary / Secretary, Panchayatraj and Rural Development Department—**Member** (3) Commissioner, Panchayatraj and Rural Development Madhya Pradesh—**Member** (4) One nominated officer from Scheduled Caste / Scheduled Tribe category who is equivalent to the rank of Deputy Secretary / Deputy Director—**Member**	
5.	Block Panchayat Officer/Faculty Member	Assistant Director (District Panchayatraj Officer) / Principal (Panchayat Raj Training Centre.).	5 Years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him—**Chairman** (2) Principal Secretary / Secretary, Panchayatraj and Rural Development Department—**Member** (3) Commissioner, Panchayatraj Madhya Pradesh—**Member** (4) One nominated officer from Scheduled Caste / Scheduled Tribe category who is equivalent to the rank of Deputy Secretary / Deputy Director—**Member.**	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAJESH KUMAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.